न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव
स्वत्व वाद सं0 – 784/2023

परशुराम यादव ....वादी।
बनाम्
लालू यादव..........................प्रतिवादी।

आदेश

28-01-2025 वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी की ओर से दिनांक 21.06.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि टाईपिस्ट की भूल के कारण कुछ शब्द टाईप होना छूट गया है जिसे जोड़ा जाना आवश्यक है तथा उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे मुकदमा के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया इस वाद में अभी कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए है तथा आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा संशोधन औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 21.06.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता हैं कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक 18.03.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)